**<u>वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिविल कोर्ट परिसर नगीना में स्थित साईकिल स्टैण्ड की नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है–</u>**

1. साईकिल स्टैण्ड की सरकारी बोली अंकन 3,39,405/–रूपये होगी।
2. ठेकेदार को स्टैण्ड का रख–रखाव स्वयं करना होगा।
3. वादकारियों से साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल खडी करने का शुल्क 5/–रूपये प्रतिसाईकिल, स्कूटर व मोटरसाईकिल खडे करने का शुल्क 10/–रूपये प्रति वाहन, तथा कार खडे करने का शुल्क 20/–रूपये प्रति कार उसी दिन के लिए होगा।
4. स्टाफ अधिवक्तागण एवं उसके मोहर्रिर से मासिक पास जारी करके 30/–रूपये प्रतिमाह साईकिल, 50/–रूपये प्रतिमाह स्कूटर व मोटरसाईकिल तथा 100/–रूपये प्रतिमाह कार से संबंधित ठेकेदार बसूल करेगा।
5. वाहन की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
6. अधिकतम बोली बोलने वाले ठेकेदार को नीलाम की आधी धनराशि तुरंत जमा करनी होगी तथा शेष आधी धनराशि दो किस्तों में क्रमशः दिनांक 30.9.2024 व 31.12.2024 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की बसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को 10 हजार रूपये जमानत की राशि अग्रिम रूप में जमा करनी होगी, जो कि ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी।
8. ठेकेदार स्टैण्ड को किसी अन्य ठेकेदार को नहीं देगा।
9. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी। जिस व्यक्ति को बोली स्वीकृत होगी, उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

**<u>दिनांक–21–03–2024</u>**

**( मनमोहन सिंह)**
**अध्यक्ष**
**नीलाम <u>समिति/अपर</u> जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**नगीना, जिला बिजनौर।**

**<u>वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिविल कोर्ट परिसर नगीना में स्थित चाय कैन्टीन की नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है–</u>**

1. चाय कैन्टीन की सरकारी बोली अंकन 2,36,500/–रूपये होगी।
2. अंतिम बोली का 1/2 धन जमानत के रूप में उसी समय न्यायालय में जमा करना होगा।
3. निर्धारित मूल्य पर खाद्य पदार्थ बेचना होगा व प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता/क्वालिटी का विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामान/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा।
4. नीलाम सबसे अधिक बोली बोलने वाले के नाम छोडा जायेगा।
5. ठेकेदार कैन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत में भी खोलेगा।
6. ठेकेदार कैन्टीन के बाहर कूडा आदि एकत्रित नहीं करेगा, सफाई व पानी की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा।
7. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
8. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट व गुटखा आदि को नहीं बेचेगा।
9. नीलाम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की स्वीकृति के उपरांत माननीय होगा तथा नीलाम की शेष 1/2 धनराशि क्रमशः दिनांक 30.9.2024 व 31.12.2024 तक जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की बसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को 10 हजार रूपये जमानत की राशि अग्रिम रूप में जमा करनी होगी, जो कि ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी।
11. ठेकेदार चाय कैन्टीन को किसी अन्य ठेकेदार को नहीं देगा।
12. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी। जिस व्यक्ति को बोली स्वीकृत होगी, उसका अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

**<u>दिनांक–21–03–2024</u>**

**( मनमोहन सिंह)**
**अध्यक्ष**
**नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**नगीना, जिला बिजनौर।**

प्रेषक–

मनमोहन सिंह,
अध्यक्ष नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिविल कोर्ट नगीना।

सेवा में–

नोडल अधिकारी,
कम्प्यूटर विभाग,
जिला जजी बिजनौर।

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिविल कोर्ट नगीना में स्थित चाय कैन्टीन के ठेके की नीलामी की सूचना को बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में:

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 20.03.2024 को नजारत अनुभाग सिविल कोर्ट नगीना में प्राप्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में सिविल कोर्ट नगीना में स्थित चाय कैन्टीन का ठेका वित्तीय वर्ष 2024–25 का नीलाम दिनांक 27–03–2024 को किया जाना है।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि सिविल कोर्ट नगीना में स्थित चाय कैन्टीन के ठेके से संबंधित नीलामी की सूचना बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का कष्ट करें।

दिनांक–21.03.2024

(मनमोहन सिंह)
अध्यक्ष नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिविल कोर्ट नगीना।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

प्रेषक–

मनमोहन सिंह,
अध्यक्ष नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिविल कोर्ट नगीना।

सेवा में–

नोडल अधिकारी,
कम्प्यूटर विभाग,
जिला जजी बिजनौर।

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सिविल कोर्ट नगीना में स्थित साईकिल स्टैण्ड के ठेके की नीलामी की सूचना को बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में–

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 20.03.2024 को नजारत अनुभाग सिविल कोर्ट नगीना में प्राप्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में सिविल कोर्ट नगीना में स्थित साईकिल स्टैण्ड का ठेका वित्तीय वर्ष 2024–25 का नीलाम दिनांक 27–03–2024 को किया जाना है।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि सिविल कोर्ट नगीना में स्थित साईकिल स्टैण्ड के ठेके से संबंधित नीलामी की सूचना बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का कष्ट करें।

दिनांक–21.03.2024

(मनमोहन सिंह)
अध्यक्ष नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिविल कोर्ट नगीना।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।